

15-06-17

परिवादी द्वारा अधि. श्री प्रवीण गुप्ता उपस्थित।  
अभियुक्त सहित अधि. श्री विकास कांकर उपस्थित।  
प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है।  
उभयपक्षों के आरोप के संबंध में तर्क सुने गये।  
प्रकरण थोड़ी देर बाद आरोप पर आदेश हेतु पेश हो।

सही /-  
(A.K.Gupta)  
Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

पक्षकार पूर्ववत।  
प्रकरण आरोप पर आदेश हेतु नियत है।

परिवादी के द्वारा धारा 294, 452, 506बी के अधीन अभियुक्त विकास जैन के विरुद्ध दिनांक 20.02.12 को साम करीब 8 बजे उसके घर के अंदर घुस आने, मारने की धमकी देने व उसका गला दबा लेने के संबंध में तथ्य लेख करते हुए परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर से दिनांक 14.03.12 को धारा 452, 294 के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात आरोप पूर्व साक्ष्य ली गयी जिसमें परिवादी द्वारा मुख्य परीक्षण में यह बताया गया कि अभियुक्त उसका परम मित्र था और अभियुक्त को घरु कार्य के लिए पैसे की जरूरत थी तब उन्होंने एक लाख पचास हजार रुपए अभियुक्त के खाते में अंतरित कर दिए थे किंतु बार-बार मागने पर भी टाल मटोल करता रहा। दिनांक 20.02.12 को शाम के करीब आठ बजे अभियुक्त द्वारा उसके दो साथियों के साथ फरियादी के घर आने और आते ही अभियुक्त द्वारा उसका गला पकड़कर दबा लेने साथियों द्वारा हाथ पकड़ लिए जाने एवं गाली देकर परिवादी से कहने "मादरचोद बहुत तगादा करता है, आज तेरा पूरा हिसाब निपटा देते हैं" का तथ्य प्रकट किया गया है।

जहां परिवादी अभियुक्त को अपना परममित्र बताकर उसे डेढ़ लाख रुपए खाते में अंतरित किए जाने का कथन करता हैं वहीं आरोप पूर्व साक्ष्य में प्रति परीक्षण में यह बताने में असमर्थ हैं कि अभियुक्त के परिवार में कौन कौन है केवल पिता को जानना बताते हैं इसके अलावा यह भी बताने में असमर्थ हैं कि अभियुक्त कितने भाई बहिन है और उसकी शादी कब हुई। इससे भी बढ़कर परिवादी जो कि अभियुक्त से मित्रता होने, दिनांक 20.02.12 को कथित रूप से उसके घर में घुसकर मारपीट करने व धमकी देने तथा गालीगलोच करने का कथन करते हैं व प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह कथन करते हैं कि वे चार व्यक्तियों में अभियुक्त को चार व्यक्तियों में खड़े अभियुक्त को पहचान लेंगे और न्यायालय में अभियुक्त के खड़े होने पर भी उससे भिन्न व्यक्ति सुनील वंसल को अभियुक्त विकास जैन के रूप में बताते हैं। परिवादी के अतिरिक्त कोई भी समर्थन साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। जबकि परिवादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्ततम अवसर दिए गये हैं।

पुलिस रिपोर्ट से भिन्न वारंट मामले के विचारण में प्रक्रिया दफ़्तर की धारा 244 से 248 तक उपबंधित की गयी है। जिसमें धारा 244 यह उपबंध करती है कि—

“1—जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सबसाक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए।

2—मजिस्ट्रेट, अभियोजन के आवेदन पर, उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए निर्देश देने वाला समन जारी कर सकता है।”

इस प्रकार से परिवादी द्वारा उपरोक्त प्रावधान के अधीन स्वयं को परीक्षित कराया गया जबकि अन्य साक्षी गुरुदयाल एवं महेश को न तो स्वयं उपस्थित किया और न ही उन्हें उपस्थित करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

दफ़्तर की धारा 245 के अधीन अग्रिम कार्यवाही का उपबंध किया है जो निम्नानुसार है—

“ यदि धारा 244 में निर्दिष्ट साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जायेंगे, यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो अखण्डित रहने पर उसकी दोषसिद्धि के लिए समुचित आधार तो मजिस्ट्रेट उसको उनमोचित कर देगा”

इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी की स्वयं की साक्ष्य संदेहपूर्व व विरोधाभासी है। जहां एक ओर परिवादी अभियुक्त को उसका परम मित्र बताकर डेढ़ लाख रुपए अंतरित करने और कथित दिनांक 20.02.12 को साम आठ बजे उसके घर में प्रवेश कर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व गाली गलोच करने के संबंध में कथन करते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानते तक नहीं है। ऐसी दशा में अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के अखण्डित रहने पर भी अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए समुचित आधार नहीं पाये जाते हैं।

अतः अभियुक्त विकास जैन पुत्र दिलीपचंद्र जैन को भादस की धारा 294, 452 के अपराध के अधीन दफ़्तर की धारा 245-1 के प्रावधानों के प्रकाश में उनमोचित किया जाता है।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेखागार में दर्ज कर प्रकरण विहित अवधि में संचयन हेतु अभिलेखागार प्रेषित हो।

सही /—

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

नकारी हेतु प्रतिलि  
वधिक उपयोग हेतु अमा

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलि  
सकीय / विधिक उपयोग हेतु